भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4000

23.12.2015 को दिया जाने वाला उत्तर

यात्री और माल वहन

4000. डॉ. उदित राज:
श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान माल भाड़ा परिवहन में भारतीय रेल की बाजार हिस्सेदारी का वर्ष-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान माल भाड़ा से प्राप्त राजस्व में रेलवे की हिस्सेदारी कितनी है;

(ग) माल भाड़ा और यात्री किराया भाड़ा में रेलवे की हिस्सेदारी में कमी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का माल भाड़ा वहन और यात्री वहन के बाजार में रेलवे की हिस्सेदारी को बढ़ाने और कारोबार के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

यात्री और माल वहन के संबंध में दिनांक 23.12.2015 को लोक सभा में डा. उदित राज और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.4000 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): भारतीय रेल वार्षिकी के नवीनतम अंक के अनुसार, 2013-14 तक तीन वर्षों के लिए भारतीय रेलों द्वारा ढोए गए चुनिंदा प्रमुख पण्यों की कुल उपलब्धता (उत्पादन प्लस आयात) का प्रतिशत निम्नानुसार है:

(आंकड़े % में)

	कोयला	लोहा	सीमेंट	खाद्यान्न	उर्वरक	पीओएल उत्पाद
2011-12	70.91	61.75	47.74	17.89	86.26	18.16
2012-13 (सं)	70.70	79.77	41.81	19.06	86.28	17.39
2013-14 (अ)	69.20	81.33	42.74	20.80	86.98	17.33

(सं)- संशोधित; (अ)- अनंतिम

(ख): भारतीय रेलों की कुल यातायात आमदनी में फ्रेट आमदनी का हिस्सा निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपयों में)

वर्ष	माल आमदनी	कुल यातायात आमदनी (पैसेंजर, गुडस्, अन्य कोचिंग और अन्य विविध आमदनी)	कुल यातायात आमदनी में फ्रेट आमदनी का हिस्सा
2011-12	69548	104154	66.8%
2012-13	85263	123901	68.8%
2013-14	93906	139838	67.2%
2014-15	105791	157072	67.4%

(ग): भारतीय रेलों पर फ्रेट लदान के लिए मांग एक व्युत्पन्न मांग है और चूंकि रेलवे फ्रेट का एक थोक वाहक है इसलिए यह अर्थव्यवस्था, विशेषरूप से प्रमुख सेक्टर, की वृद्धि पर निर्भर करती है। फ्रेट आमदनी में कमी प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था के प्रमुख सेक्टर में धीमी वृद्धि, और कर्नाटक तथा ओडिशा में खनन पर प्रतिबंध के बाद लौह अयस्क में ऋणात्मक वृद्धि और निर्यात में भारी मात्रा में कमी के कारण है।

जहां तक यात्री यातायात का संबंध है, इसमें कमी होने के अनेक कारण हो सकते हैं जिनमें रियायती टिकटें जारी करने में, विशेष रूप से इज्जत एमएसटी के मामले में, परिवर्तित मानदंड/विनियम, सड़क अवसंरचना में सुधार होने के परिणामस्वरूप बेहतर और तीव्र कनेक्टिविटी होना, व्यक्तिगत और वाणिज्यिक वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होना, महानगरों में

यातायात के मेट्रो रेल में जाना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ खंडों का बंद होना आदि शामिल है।

(घ) और (ड.): रेलवे के मार्केट शेयर में सुधार लाने के लिए, प्रति वैगन अतिरिक्त यातायात ढुलाई के लिए धुरा भार बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल है: मालगाड़ियों की लंबाई बढ़ाना, प्रभावपूर्ण निगरानी के लिए फ्रेट आपरेशन का कंप्यूटरीकरण करना, उच्चतर क्षमता वाले इंजन और वैगन जोड़ना, चल स्टॉक के लिए उन्नत अनुरक्षण पद्धतियां, रेलपथ सिगनल में सुधार लाना और नई प्रौद्योगिकियों तथा पद्धतियों को अपनाने के लिए कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना।

उच्च क्षमता में गैर पारंपरिक यातायात में, रेलवे का मार्केट शेयर बढ़ाने के उद्देश्य से, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) के जरिए निम्नलिखित विशेष प्रयोजन वैगन योजनाएं शुरू की गई हैं:

(i) उदारीकृत वैगन निवेश योजना- अभी तक 15 फर्मों द्वारा 59 रेक खरीद के लिए अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 30 रेक खरीदे जा चुके हैं और इन्हें चलाया जा रहा है।

(ii) वैगन लीजिंग योजना- वैगन लीजिंग कंपनी के रूप में दो कंपनियां पंजीकृत की गई हैं, जिसके बाद बीएलसी वैगनों के 12 रेक खरीदे गए और 4 नए बीएलसी रेकों तथा 2 बीटीएपी रेकों के लिए अनुमोदन दे दिया गया है।

(iii) स्पेशल फ्रेट ट्रेन आपरेटर स्कीम- अभी तक बीआरएनए वैगनों के 3 रेकों को खरीदने के लिए अनुमोदन दिया गया है।

(iv) आटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन आपरेटर स्कीम- एएफटीओ के रूप में कार्य करने के लिए 2 कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया है और अभी तक 7 रेक खरीदे जा चुके हैं।

इसके अलावा, फ्रेट टर्मिनलों में निजी निवेश शामिल करने के लिए प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) योजना शुरू की गई है।

फ्रेट सेवाओं में रेलवे के हिस्से में सुधार लाने के लिए किए गए कुछ अन्य प्रयास निम्नानुसार हैं:-

(i) एम्पटी फ्लो डायरेक्शन यातायात के लिए आटोमेटिक रिबेट: रेकों के खाली चलने के स्थान पर इन्हें माल लदान के जरिए चलाने के उद्देश्य से, 25.06.2015 से आटोमेटिक फ्रेट रिबेट स्कीम शुरू की गई है, जिसमें कुछ नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन, अधिसूचित एम्पटी फ्लो डायरेक्शन मे लादे गए सभी रेकों पर श्रेणी-एलआर1 (गाड़ी भार) और श्रेणी-100 (वैगन भार) पर प्रभार वसूल किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, ग्राहक को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यातायात के अधिसूचित एम्पटी फ्लो डायरेक्शन में लोड होने के बाद सिस्टम स्वत: ही फ्रेट पर छूट देता है। यह सिस्टम सरल है, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित है, ग्राहक केंद्रित है और इसमें मैन्युअल तरीके से कुछ नहीं करना पड़ता।

(ii) लौह अयस्क के निर्यात पर दूरी आधारित प्रभार: निर्यात यातायात के लिए लौह अयस्क की कम मांग को बढ़ाने के लिए, 8 सितंबर 2015 से लौह अयस्क के निर्यात पर लगने वाले दूरी आधारित प्रभार को केवल 300/- रुपए कम किया गया है।

(iii) फ्रेट दरों को युक्तिसंगत बनाना: कोयला, सीमेंट, लोहा अथवा इस्पात, कच्चा लोहा, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे पण्यों का वर्गीकरण कम कर दिया गया है। इसके अलावा, 1500 कि.मी. से आगे की दूरी स्लैबों को 250 कि.मी. से संशोधित करके 125 कि.मी. कर दिया गया है।

यात्री यातायात में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) अतिरिक्त सवारी डिब्बे जोड़कर ऑनबोर्ड क्षमता में संवर्द्धन, अवकाश के दौरान स्पेशल ट्रेनें चलाना, सुविधा ट्रेनें चलाना आदि।

(ii) ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) के जरिए टिकट बिक्री की क्षमता में संवर्द्धन, कैश-कॉइन और स्मार्ट कार्ड चालित टिकट वेंडिंग मशीन (को टीवीएम),मोबाइल टिकटिंग, जन साधारण टिकट बुकिंग सेवक (जेएसटीबीएस), स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट (एसटीबीए) और यात्री टिकट सुविधा केंद्र (वाईटीएसके) जैसे टिकट एजेंटों की सेवाओं का उपयोग।

*****